शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
72 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के भारतीय समाज पर प्रभाव

डॉ0 निरंकार सिंह
एसो0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग
एम0जी0एम0 कॉलिज, सम्भल।
ई–मेल nirankarsinghmgm@gmail.com

सारांश

भारतीय संस्कृति में यह मान्यता रही है कि नर नारी के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करता है। अतः नारी शक्ति का स्त्रोत है। वह अपना सर्वस्व त्यागकर नर में शक्ति का बीज बोती है। वैदिक काल में ही नारी को समाज में इतना उच्च स्थान प्राप्त था कि आज भी संसार का अधिक से अधिक सुसंस्कृत राष्ट[a] भी यह नहीं कह सकता कि उसने नारी को इतना ऊंचा स्थान प्रदान किया है। किंतु विडम्बना है महिलाओं द्वारा प्रत्येक कर्मक्षेत्र में अपनी योग्यता बुद्धि का परिचय देने के बावजूद महिलाओं में प्रति हिंसा में कोई कमी नहीं है। आज भी महिला उत्पीड़न के मूल में कोई निरक्षरता, रुढ़िवाद या अन्धविश्वास जस का तस है। महिला कोई भी हो किसी भी वर्ग में हो वह किसी न किसी रूप में उत्पीड़न का शिकार अवश्य होती है। लेकिन 2005 में भारत सरकार द्वारा बनाये गए घरेलू हिंसा अधिनियम ने भारतीय समाज में आमूल–चूल परिवर्तन किये हैं। परिवार, समाज व कार्यालयों में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में कमी दिखायी पड़ती है।

मुख्य शब्द– *घरेलू हिंसा, घरेलू हिसा अधिनियम 2005।*

प्रस्तावना

हम भारत के लोग गर्व अनुभव करते हैं कि हम विश्व के ऐसे सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं जहां संविधान द्वारा महिला एवं पुरुषों को समानता का दर्जा दिया गया है किन्तु हमारा इतिहास गवाह है कि पुरुष के साथ हर कार्य क्षेत्र में सहभागी महिला का स्थान पुरुष की तुलना में बहुत नीचे आंका जाता है। '' महिला शब्द जो समाज के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है उसकी कल्पना से रहित कोई समाज नहीं हो सकता। महिला समाज की निर्मात्री है और सृष्टि व सभ्यता का शुभारम्भ है।(1)

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है। 'सामाजिक समस्या सामाजिक संगठन एवं मानवीय सम्बन्धो से आबद्ध होती है अतः इसकी प्रकषति जटिल है। सामाजिक संगठन एवं मानवीय सम्बंधो में परिवर्तन के साथ–साथ सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती जाती है तथा यदि इनका समाधान शीघ्रता से नही किया जाता है तो सामाजिक व्यवस्था में उथल–पुथल की स्थिति पैदा हो जाती है।(2) किसी भी समाज में सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। सामाजिक संगठन

में जब नियमविहीनता, सामंजस्य का आभाव और प्रचलित मूल्यों, आदर्शो व नियामों में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अनेक प्रकार की समस्यायें जन्म लेती हैं। **जॉन केन के अनुसार** ''जब कभी समाज द्वारा प्रचलित मूल्यों एवं आदर्शों के प्रतिकूल परिस्थितियां विकसित हो जाती हैं तो अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा होती हैं।(3)

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा रोक अधिनियम तथा शिक्षा को वास्तविकता की कसौटी पर कसा गया है। यह शोध पत्र वर्णनात्मक विधि पर आधारित है तथा आवश्यकतानुरूप द्वितीयक तथ्यों का उपयोग किया गया है तथा अन्त में यह बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा का अभाव महिलाओं को अनेक प्रकार के अत्याचार/हिंसा सहने को विवश करता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला वह घिनौना कष्त्य है जहां एक वयस्क अपने रिश्तों के लिए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता है। घरेलू हिंसा के रूपों में शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना शामिल हैं। यह हिंसा रिश्तों में भय व अन्य प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा अपना दबदबा बनाये रखने का एक गलत प्रयास है। प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति अपने शिकार को शाब्दिक रूप से धमकियों द्वारा मानसिक और मारपीट द्वारा शारीरिक प्रताड़नायें देता है।(4) हिंसात्मक व्यवहार महिलाओं के साथ जीवन के सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में कभी भी कहीं भी घटित हो सकता है इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय समाज सदैव से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है जहां लडकों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व किया जाता है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत यह बात मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती है कि अधिकांशतः घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं ही होती हैं। आए दिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं उनमें मानवाधिकारों का प्रयोग करने के मार्ग में बाधा बनती हैं, दैनिक समाचार पत्रों में पृष्ठ पलटने पर एक पृष्ठ अवश्य ही महिलाओं के विरुद्ध हिंसक घटनाओं से भरा होता है। उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव है।(5) महिलाओं का उत्पीड़न /शोषण, बलात्कार, भगालेजाना, मारपीट करना, अपशब्दों का प्रयोग, जला देना, मार डालना आदि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रमुख प्रकार हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेखा ब्यूरो (NCRB) द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार ''प्रति चार मिनट में एक महिला उत्पीड़न, प्रति 09 मिनट में पति सम्बंधी उत्पीड़न, प्रति 15 मिनट में महिला छेड़छाड़, प्रति 53 मिनट में यौन उत्पीड़न, प्रति 70 मिनट में दहेज हत्या तथा प्रति 29 मिनट में बलात्कार की घटना घटित होती है।''(6) नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2014 के आंकड़े कहते हैं किपछले 10 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दो गुने हुए हैं। पिछले एक दशक में महिलाओं के विरुद्ध 22.40 लाख अपराध दर्ज हुए हैं। इस आंकड़े के आधार पर इंडिया स्पेंड के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में हर घंटे में महिलाओं के खिलाफ 26 हिंसक मामले दर्ज होते हैं। जिसका एक मायना यह भी है कि हर दो मिनट में एक शिकायत दर्ज होती है।(7) इन मामलों में गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आंकड़े थानों में दर्ज अपराधों के हैं वरना न जाने कितने अपराध सामाजिक प्रतिष्ठा का भय दिखाकर घर में दफन करा दिये जाते हैं पुलिस थानों तक नही पहुंच पाते, कुछ शिकायत लेकर पहुंचते भी हैं तो रिपोर्ट

नही लिखवाई जाती और अगर रिपोर्ट लिखी भी जाती है तो कार्यवाही बहुत लम्बी हो जाती है या दोषी को सज़ा नही होती। ये समस्यायें नई नही हैं। हमारा समाज जब से है पुरुष प्रधान है और महिलाएं अपने पूरे जीवनकाल में पुरुष के शासन में रहती हैं– बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती हैं।(8) यह समस्या किसी एक समाज की नही है। यहसमस्या शहर तथा गॉव दोनों ही क्षेत्रों में विद्यमान हैं। मद्यपान, दहेज, अशिक्षा तथा जागरुकता में कमी इस हिंसा के प्रमुख कारण हैं।(9) ''महिला चाहे किसी भी राष्ट्र की क्यों न हो उसकी अपनी स्थिति में कोई अन्तर नही आया है। आज वह हिंसा, उत्पीड़न एवं दमन की शिकार है।(10) भारतीय महिलाओं की स्थिति लम्बे समय से कमोबेश ऐसी ही है। यौन उत्पीड़न मानव समाज की प्राचीनतम मान्यताओं में से एक है। आज मन की कोमल भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। महिलाओं के प्रति हमारा नज़रिया दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है''(11) हिंसा के खिलाफ कदम उठाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा के कवच न तो परिवार में होते हैं और न ही परिवार के बाहर। इसीलिए घरेलू हिंसा जितनी भयानक और व्यापक है, उसके प्रति महिलओं का विरोध आज भी उतना ही सीमित है।

ऐसा नही है कि सरकार की ओर से इस विषय में कोई सकारात्मक कदम नही उठाये गये हैं । महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मामलों पर सकारात्मक सुनवाई और कार्यवाही के लिय ही 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ दिल्ली, महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। फिर भी घरेलू हिंसा के मामलों में घरेलू हिंसा के इस पेचीदा रूप को पहचानते हुए लम्बे इन्तेज़ार के बाद ''घरेलू हिंसा रोक अधिनियम 2005'' (द प्रोटेक्शन ऑफ वूमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005) 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। हालांकि संविधान में महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्पीड़न को रोकने के किये गये अनेक प्रवधानों के बावजूद महिलाओं की स्थिति अच्छी नही रही है। सर्वेक्षण बताते हैं कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तर की 70 प्रतिशत भारतीय महिलाएं किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा रोक अधिनियम 2005 से पहले घरेलू हिंसा के विरुद्ध अनुच्छेद 498 ए के तहत घरेलू हिंसा मामलों की सुनवाई और कार्यवाही होती थी यह एक अपराधिक कानून था, जिसमें दहेज प्रताड़ना, वैवाहिक घर में पति व सुसराल वालों द्वारा मारपीट के मामलों को दर्ज किया जाता था। महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिसां पर रोक लगाने के उददेश्य से ही क़ाईम अगेन्स्ट विमेन सैल की भी स्थापना की गई थी। इन कानूनी प्रावधानों के होते हुए भी घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को उतना न्याय नही मिला जितनी कि उम्मीद थी और ना ही घरेलू हिसां की घटनाओं पर कोई रोक लगायी जा सकी। घरेलू हिंसा रोक अधिनियम 2005 भी कोई सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाया है। आज भी महिलाएं घर की चारदीवारी में चुपचाप पति के अत्याचार इसलिये सहती हैं कि यदि घर से बाहर कहीं थाने या अदालत में शिकायत की तो घर का आसरा, बसा हुआ घर ही टूट जायेगा और अगर शिकायत करने कोई महिला आगे बढ़ती है तो वही जिसे अपने घर टूटने की परवाह नही है। विकल्प का अभाव घर छोड़ने की स्थिति में जीवन की आर्थिक आवश्यकताएं बड़ा कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं

घरेलू हिंसा के विरुद्ध कदम नहीं उठा पाती हैं। यह समस्या तब और भी जटिल हो जाती है जब महिलाऐं आशिक्षित हों। क्योंकि महिला सशक्तीकरण में शिक्षा बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक **दि रोल ऑफ विमेन.....** में लिखा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि बिना शिक्षा के मानव एक पशु से बहुत अलग नही है, इसलिये यह महिलाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है , जितनी पुरुषों के लिए।(12) शिक्षा का उददे्श्य केवल व्यक्तियों का उत्थान ही नहीं होता अपितु यह सामाजिक समस्याओं से मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक सशक्त साधन होता है। भारतीय समाज की आधी आबादी महिलओं का साक्षरता प्रतिशत स्वाधीनता के 70 वे वर्ष में भी 65 प्रतिशत को नही छू सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तस्वीर और भी फीकी है। ऐसे में घरेलू हिंसा रोक अधिनियम की सही सही जानकारी वहां की महिलाओं के लिए दूर का ढोल ही है। इस कानून का सही लाभ/ज्ञान महिलाएं उठा सकें इसी नज़रिये से यहां इसकी प्रमुख बातों को प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा।

घरेलू हिंसा प्रतिरोधक अधिनियम 24 अगस्त 2005 को लोकसभा में और 29 अगस्त 2005 को राज्य सभा में पास हुआ। 13 सितम्बर को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही कानून बना। दस साल के लम्बे संघर्ष के बाद महिला अंदोलन की एक जीत के रूप में इस कानून का स्वागत किया गया । इस कानून का प्रारूप देशभर में हिसां के मुद्दे पर कार्य कर रही संस्थाओं के साथ गहन विश्लेषण और शोध के बाद तैयार किया गया। इस कानून का प्रभाव भले ही आज व्यापक नही है किन्तु वास्तविकता यह है कि यह कानून घरेलू हिंसा रोकने के लिए एक सकारात्मक पहल है। संक्षेप में इस कानून के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं–

इस अधिनियम के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 14,15 तथा 21 में दिये गये समानता के मौलिक अधिकार आते हैं। यह अधिनियम महिलाओं को पहचान व सम्मान के साथ हिंसामुक्त जीवन का अधिकार देता है। यह हमारे देश का पहला सिविल कानून है, जो घरेलू हिंसा को कानूनी मान्यता देते हुए महिलाओं को तुरन्त राहत देने की बात कहता है।

इस अधिनियम में – किसी भी तरह का शारीरिक, यौनिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक उत्पीड़न, धमकी या शोषण घरेलू हिंसा माना गया है। महिला या उसके रिश्तेदारों से गैरकानूनी ढंग से दहेज की मांग करना भी इसकी परिभाषा में शामिल है।

यह एक सिविल कानून है, जिसका मुख्य उददे्श्य महिलाओं को उनके घर परिवार के दायरों में ही सुरक्षा प्रदान करना है। यह हमारे देश का पहला ऐसा कानून है जो कि महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू हिंसा को भी अपराध घोषित करता है और समानन्तर रूप से सुरक्षा भी प्रदान करता है।

यह कानून महिलाओं को समान नागरिक का दर्जा देते हुए उनके मौलिक अधिकारों तथा मानवीय हकों का दायरा बढ़ाता है, उन्हे निडर और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, और घरेलू हिंसा को एक मानवीय अधिकार हनन के रूप में परिभाषित करता है, महिलाओं के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा का पूरा दायित्व केन्द्र व राज्य सरकारों को सौंपता है। इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही तुरन्त अपराधिक कानून के अनुसार भले ही न हो किन्तु

इसके उल्लंघन के साथ ही वह तुरन्त अपराधिक कानून के अनुरूप व लागू होता है अर्थात अपनी मूल प्रवृति में सिविल होने के बावजूद दिये गये प्रावधानों का उल्लघंन किये जाने पर अपराधिक कानून का रूप धारण करता है, जिसमें गैर ज़मानती गिरफ्तारी व दण्ड का प्रावधान है। इस कानून के अन्तर्गत सरल और तीव्र सुनवाई की प्रक्रियाओं को महत्व दिया गया है। यह पहला कानून है, जो घरेलू हिंसा को शादी के रिश्ते से ऊपर उठा कर परिभाषित करता है। महिलाओं को पैतृक और वैवाहिक दोनों घरों में रहने का अधिकार प्रदान करता है।'' इसमें सिर्फ वह महिला ही नहीं जिसके साथ हिंसा हुई है बल्कि कोई भी महिला जिसे ऐसी हिंसा होने कि जानकारी है, उसकी शिकायत पुलिस, संरक्षण अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के पास कर सकती है।(13) फिर भी इतना कुछ होते हुए भी आज महिलओं की स्थिति में कोई सुधार नज़र नही आता अतः विचारणीय बिन्दु यह उठता है कि क्या कानून बना देना पर्याप्त है ? कानून बनने के बाद भी घरेलू हिंसा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयी है अपितु 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 37 प्रतिशत महिलाएं गम्भीर पारिवारिक हिंसा की शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2009 में वैश्विक आंतकवाद में मरने वालों की संख्या 2239 थी वहीं भारत में घरेलू हिंसा में मरने वाली महिलाओं कि संख्या 8383 थी।(14) वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं का उत्पीड़न सत्त जारी है। आज भी कन्या भ्रूण हत्या, नवजात शिशु हत्या, यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर हिंसा, सार्वजनिक स्थलों व आवागमन में उत्पीड़न आम बात हो गई है। भारत वर्ष में प्रतिवर्ष 05 लाख कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है और यहां प्रतिवर्ष पैदा होने वाली 15 लाख बच्चियों में 1.5 लाख बच्चियां अपने प्रथम जन्म दिन से पूर्व तथा लगभग 25 प्रतिशत बच्चियां 15 वां जन्म दिन देखने से पूर्व मर जाती हैं।(15) पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार एक सामान्य बात है क्योंकि वे महिलाओं में स्वतंत्र चेतना के विकास के विरुद्ध होते हैं और अगर कोई महिला इस दिशा में कदम बढ़ाते हुऐ अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करना चहाती हैं तो उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित/वंचित/प्रतिबंधित किया जाता है।

निष्कर्ष

अन्ततः अपने इस शोध पत्र के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हिंसा से बचना है तो हमें समाज में संदेश फैलाना होगा कि अपनी बहिन, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ायें क्योंकि पढ़कर ही वे सशक्त होंगी और उनका आत्मविश्वास मज़बूत होगा। महिलाओं को सम्मान न देने वालों की निंदा करें और महिला हिंसा के विरुद्ध मानसिक और शारीरिक प्रभावों की गम्भीरता के प्रति जागरुकता पैदा करें। तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पायेंगें जहां न महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होगी, न हमें अधिनियमों की आवश्यकता होगी, सभी शिक्षित होकर अपने व्यवहार के द्वारा आपसी रिश्तों को मज़बूती प्रदान कर समाज में कंधे से कधा मिलाकर चल सकेंगें। संस्कृति और समृद्धि को साथ–साथ जोड़ते हुऐ हमें भारत को पुनः विश्वगुरु पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए महिलाओं को भी अनिवार्य रूप से बराबरी का दर्जा देना होगा अन्यथा लक्ष्यप्राप्ति सम्भव नहीं है, अतः महिला शिक्षा को समृद्ध परम्परा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना

होगा। शिक्षा,खान–पान, रहन–सहन और उन्मुक्त जीवन शैली के आधार पर भले हम यह कहें कि शहरी इलाकों में महिलाओं की स्थिति सुधारी हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अधिकांश स्थिति बदतर ही है। अज़ादी के सत्तर वर्ष बाद भी महिलाऐं हाशिये पर है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भी बराबरी का हक मिला है, लेकिन ये हक ज़्यादातर संविधान एवं कानून की किताबों तक में ही सीमित है, इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारना होगा।

संदर्भ ग्रंथ

1 कुमार, राकेश : *नारीवदी विमर्श* : आधार प्रकाशन, पंचकुला 2001 पेज न0 **23**

2 महाजन, संजीव : *भारत में सामाजिक विघटन 2004* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली पेज न0 **140**

3 महाजन संजीव : *भारत में सामाजिक विघटन 2004* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली पेज न0 **141**

4 पाठक रामचंद्र : *सामाजिक समस्यायें*

5 *एल कोलारोजी जम्पअप : ए रिस्पोन्स टू डेनिस एंड लॉकर्टः वॉट गाइड्स सोशल वर्क नॉलिज एबाउट वाइलेन्स अगेन्स्ट वीमेन* ? जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजूकेशन 41 (1) 147 – 159 रेत्रिवेट नवम्बर 30, 2013 From http://www.jslorg.org/stable/23044038,p148

6 शुक्ल,अमित : *''महिला सशक्तीकरण नई सहसत्राब्दी में अवधारणा'',* आमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2010 पेज न0 **137**

7 माशा : *''नारी के विरुद्ध अपराध : पूरी दुनिया की आपबीती''* योजना, योजना भवन, नई दिल्ली अंक सितम्बर 2016 पेज न0 **47–48**

8 आहूजा, *रामः सामाजिक समस्यायें,* रावत पब्लिकेशन जयपुर 2010 पेज **435**

9 माथुर, प्रियंका : *महिला सशक्तीकरण* '' ज्योति प्रकाशन जयपुर 2010 पेज न0 **24**

10 स्याल, शान्ति कुमार, 'नारीत्व' आत्माराम एण्ड संस दिल्ली 1998 पेज न0 **108**

11 श्री कृष्ण, वी0एन0 (रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट) हिन्दुस्तान 29 दिसम्बर 2012

12 गान्धी, महात्मा : *द रोल ऑफ विमेन*

13 पाण्डेय, आई0सी0, प्रधान, श्याम नारायण एवं पाण्डेय रमेश *''महिलओं के अधिकार''* सुधाली पब्लिशर्स नई दिल्ली पेज **62**

14 प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, फरवरी 2013 पेज 1009